

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 151/2022

| वादीया | बनाम | प्रतिवादीगण |
|--|--|-------------|
| 1. ओमीदेवी पुत्री जगनाथ पत्नी कालूराम जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी चन्दलाई हाल भटिंडा तह0 लुणी जिला जोधपुर राजस्थान। | 1. मांगीदेवी पुत्री जगनाथ पत्नी लुणाराम 2. लादुराम पुत्र जगनाथ 3. सुखीदेवी पुत्री जगनाथ पत्नी दलाराम जातिगण पालीवाल ब्राह्मण निवासीगण चन्दलाई हाल लोलावास तह0 लुणी जिला जोधपुर राज0। 4. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0 | |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-



1. श्री पंकज त्रिवेदी अधिवक्तागण वादीगण उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 से 03 उप0

—: निर्णय :-

दिनांक - 05/05/2024

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चन्दलाई, प0ह0 सरदारसमंद, भू0अ0नि0 क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 414, 415, 727 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.2000 है0 किस्म बा0अ0, नहरी अब्बल की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। दिनांक 06.05.2024 को अधिवक्ता उभय पक्षों द्वारा उपस्थित होकर सहमति द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने का निवेदन किया। जिस पर दिनांक 06.05.2024 को प्रकरण में वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने कमांक/रीडर/2024/1843 दिनांक 19.12.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय


उपखण्ड अधिकारी,
सोजत, जिला-पाली

नजरी नक्शा दिनांक 19.12.2024 अनुसार वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 19.12.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा चन्दलाई, प0ह0 सरदारसमंद, भू0अ0नि0 क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 414, 415, 727 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.2000 है0 किरम वा0अ0, नहरी अब्बल की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाडा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

01 ग्राम चन्दलाई में स्थित कृषि भूमि का विभाजन:-

| क्र.स. | नाम खातेदार | ख0सं0 | रकबा | किस्म |
|--------|---|---------|--------|-------|
| 1. | ओमीदेवी पुत्री जगनाथ सा0 देह खातेदार | 414 / 1 | 0.2800 | बा0अ0 |
| | | 415 / 2 | 0.1875 | बा0अ0 |
| | | 727 / 1 | 0.3325 | न0अ0 |
| | | 03 | 0.8000 | — |
| 2. | मांगीदेवी पुत्री जगनाथ हि0 1/3 लादुराम पुत्र जगनाथ हि0 1/3 सुखी देवी पुत्री जगनाथ हि0 1/3 जाति पालीवाल सा0 देह खातेदार | 414 | 0.8400 | बा0अ0 |
| | | 415 | 0.5625 | बा0अ0 |
| | | 727 | 0.9975 | न0अ0 |
| | | 01 | 2.4000 | — |

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो



यह निर्णय आज दिनांक 05/05/2025
हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री बमुकदमें इत्तदाई

(ओ020 नियम 6-7 जाका दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

| वादीया | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|-------------|
| 1. ओमीदेवी पुत्री जगनाथ पत्नी कालूराम जाति पालीवाल ब्राह्मण निवासी चन्दलाई हाल भटिंडा तह0 लुणी जिला जोधपुर राजस्थान। | 1. मांगीदेवी पुत्री जगनाथ पत्नी लुणाराम 2. लादुराम पुत्र जगनाथ 3. सुखीदेवी पुत्री जगनाथ पत्नी दलाराम जातिगण पालीवाल ब्राह्मण निवासीगण चन्दलाई हाल लोलावास तह0 लुणी जिला जोधपुर राज0। 4. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तह0 सोजत जिला पाली राज0 | |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :- 151/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजिरी श्री पंकज त्रिवेदी अधिवक्ता वादी तथा श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 से 03 पेश होकर हुकम दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा चन्दलाई, प0ह0 सरदारसमंद, भू0अ0नि0 क्षेत्र शिवपुरा तहसील सोजत के खसरा नम्बर 414, 415, 727 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.2000 है0 किस्म बा0अ0, नहरी अब्बल की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है



विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है
चन्दलाई में स्थित कृषि भूमि का विभाजन:-

| क्र.सं. | नाम खातेदार | ख0सं0 | रकबा | किस्म |
|---------|---|---------|--------|-------|
| 1. | ओमीदेवी पुत्री जगनाथ सा0 देह खातेदार | 414 / 1 | 0.2800 | बा0अ0 |
| | | 415 / 2 | 0.1875 | बा0अ0 |
| | | 727 / 1 | 0.3325 | न0अ0 |
| | | 03 | 0.8000 | — |
| 2. | मांगीदेवी पुत्री जगनाथ हि0 1/3 लादुराम पुत्र जगनाथ हि0 1/3 सुखी देवी पुत्री जगनाथ हि0 1/3 जाति पालीवाल सा0 देह खातेदार | 414 | 0.8400 | बा0अ0 |
| | | 415 | 0.5625 | बा0अ0 |
| | | 727 | 0.9975 | न0अ0 |
| | | 01 | 2.4000 | — |

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत, (राज.)

करने से जरिये रथाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहसीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ़्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान -

मुबलिंग -

बाबत --

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिल मेरे दरस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 05/05/2025 को जारी



(Handwritten signature)

(मासिंगा राम)

उपखण्ड अधीक्षक, सोजत
सोजत (राज.)

| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |
|----------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
| स्टाम्प अरजीदावा | शून्य | शून्य | स्टाम्प वकलतनामा | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य | शून्य |
| स्टाम्प वजह सबूत | शून्य | शून्य | महनताना वकल | शून्य | शून्य |
| महनताना वकील पर | शून्य | शून्य | खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | शून्य | फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य |
| फीस कमिश्नर | शून्य | शून्य | बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | शून्य | मुतफर्रिक | शून्य | शून्य |
| मतफर्रिक | शून्य | शून्य | | | |
| मद्दई | रूपया | न.पै. | मुद्दायला | रूपया | न.पै. |